न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्याः 23/2017 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

आशा सैनी पत्नी रामकुमार सैनी, निवासी प्लाट नं. 19–ए पवनपुरी ई, ज्वाला माता के मन्दिर के पास बैनाड रोड, जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांकः 17.10.2017

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी, एवं जिला कलक्टर जयपुर जिला जयपुर को दिनांक 15.07.2017 को आवेदन जरिये डाक प्रेषित किया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम की होने से राज्य लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलक्ट्रेट जयपुर ने उनके पत्रांक राजस्व–5(81) आर.टी.आई./अन्तरण/17/7676 दिनांक 20/7/2017 से अन्तरण किया गया। सूचना निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 22.09.2017 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। किन्तु सूचना प्राप्त नही हुई। अपीलांट स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलांट को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की टिप्पणी प्राप्त नही हुंई है। अपीलांट ने अभी तक सूचना नही मिलना बताया है।

फलस्वरूप अपील अपीलांर्थी स्वीकार की जाती है राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 15.7.2017 में अंकित वांछित सूचना/रिकार्ड यदि उपलब्ध नहीं कराया गया है तो शीध्र निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।